मध्यप्रदेश शासन

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

क्रमांक एफ-16(2) 88/49-10, भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 1988

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—लोक आयुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना द्वारा रिश्वत लेते हुए पकड़े गए भ्रष्ट शासकीय सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही.

लोक आयुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना के अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट शासकीय सेवकों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने की कार्यवाही की जाती है. शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि जब किसी शासकीय सेवक को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा जाता है, तो वह व्यक्ति स्वयं को बचाने के प्रयास में अपने उच्च अधिकारियों को यह शिकायत करता है कि उसको ट्रेप के प्रकरण में झूठा फंसाया जा रहा है तथा वह अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास करता है. ट्रेप हुए इन कर्मचारियों के कुछ वरिष्ठ शासकीय अधिकारी लोक आयुक्त कार्यालय को सीधे लिखते हैं कि ट्रेप की कार्यवाही की वास्तविकता संदेहास्पद है तथा वे इस संबंध में पुनः जांच कराने का आग्रह करते हैं. उच्च शासकीय अधिकारियों की इस प्रकार की कार्यवाही उचित नहीं कही जा सकती, चूंकि ये अधिकारी ट्रेप के समय वहां उपस्थित नहीं रहते हैं और वे इस कार्यवाही के साक्षी भी नहीं रहे. अतः ऐसी स्थिति में जबकि ट्रेप की विशेष घटना के आधार पर कार्यवाही की जा रही हो जिसकी व्यक्तिगत जानकारी इन अधिकारियों को नहीं हो तो केवल ट्रेप अधिकारी के व्यक्तिगत आचरण अथवा कार्यक्षमता के सामान्य ज्ञान के आधार पर उसके पक्ष या विपक्ष में उनके द्वारा कुछ भी कहा जाना उचित नहीं है. यह भी ध्यान में लाया गया है कि कुछ प्रकरणों में जिनमें वरिष्ठ अधिाकरियों ने अधीनस्थ कर्मचारी के ट्रेप हो जाने पर एक स्थानीय जांच की कार्यवाही की तथा जांच प्रतिवेदन के साथ प्रकरण पुनः जांच हेतु उनका अभिमत लेकर लोक आयुक्त संगठन को भेजा गया. ट्रेप के प्रकरणों में इस प्रकार जांच प्रतिवेदन भेजना या कोई अनुशंसा करना वांछनीय नहीं है. इस प्रकार की कार्यवाही का यह आशय भी लगाया जाता है कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का संरक्षण दिया जा रहा है. भ्रष्टाचार को रोकने का कार्य केवल अन्वेषण एजेन्सियों का ही नहीं है, यह सभी वरिष्ठ अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि वे देखे कि उनके विभाग में इस पर प्रभावी नियंत्रण हों. अतः आपसे निवेदन है कि कृपया लोक आयुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना द्वारा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़े गये कर्मचारियों के मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें.

यदि विशेष पुलिस स्थापना द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में आपका कोई अधीनस्थ अधिकारी अथवा कर्मचारी जो ट्रेप किया गया है वह ट्रेप के बारे में किसी प्रकार की शिकायत करता है तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को अपनी शिकायत सीधे माननीय लोक आयुक्त अथवा निदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, लोक आयुक्त संगठन को भेजने की सलाह दें.

हस्ता./-
(आर. एल. वार्ष्णेय)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.